

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, अंजड जिला बड़वानी

{समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

दीवानी वाद क्रमांक 03-ए/2012

संस्थित दिनांक- 05.01.2012

तुलसीराम पिता मड़िया भिलाला, आयु 62 वर्ष,
पेशा-नौकरी, निवासी-ग्राम अभाली, तहसील ठीकरी,
जिला बड़वानी

-वादी

वि रु द्ध

1. मनोहर पिता जगदीश पाल (गडरिया), आयु 44 वर्ष,
 2. जिलाधीश, बड़वानी
 3. महेश पिता धन्नालाल गडरिया, आयु 38 वर्ष,
 4. दिनेश पिता जगदीश गडरिया, क्रमांक-1, 3 व 4 का पेशा-कृषि,
निवासीगण-ग्राम घटवा, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी
- प्रतिवादीगण**

वादी द्वारा अभिभाषक - श्री बी. के. सत्संगी
प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 द्वारा अभिभाषक - श्री एस.एस.चौहान
प्रतिवादी क्रमांक-1 व 2 - पूर्व से एकपक्षीय

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.09.2016 को घोषित)

01- प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा वादी तुलसीराम के पक्ष में ग्राम अभाली, तहसील ठीकरी में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 27 व 28 रकबा 2.65 एकड़, जिसकी चतुरसीमा : पूर्व में नाला, पश्चिम में गाड़ी-बैल का रास्ता, उत्तर में गजानंद पाटीदार का खेत तथा दक्षिण में नाला है (जिसे प्रकरण में संक्षिप्तता व सुविधा की दृष्टि से आगे **वादग्रस्त भूमि** कहा जाएगा) के दिनांक 01.06.2009 को निष्पादित विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य वादी से उन्हें दिलाने के लिए तथा इस आशय की घोषणा के लिए कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 के संयुक्त स्वत्व की है, की सहायता के लिए प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 द्वारा वादी के विरुद्ध यह प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है, साथ ही, वादी के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गई है कि वादी उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 के स्वत्व में कोई हस्तक्षेप नहीं करे।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 विक्रेता मनोहर के द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2009 को वादी तुलसीराम के पक्ष

में किया गया है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 भाई हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय हैं कि वादी ने इसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित इसी विक्रय विलेख के आधार पर स्वत्व की घोषणा तथा राजस्व अभिलेखों में स्वयं का नाम दर्ज कराने के लिए वाद प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद में दिनांक 07.08.2015 को वादी की ओर से आवेदन पत्र पेश कर वाद नहीं चलाना प्रकट करने के कारण वादी का वाद निरस्त किया गया है। अतः अब प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे के संबंध में ही उक्त निर्णय पारित किया जा रहा है।

03- प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रतिदावा संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 के पिता जगदीश थे और जगदीश के पिता किशन पिता जीवन थे और महेश, जो कि प्रतिवादी क्रमांक-3 है, किशन के सगे भाई धन्नालाल का गोदी पुत्र है। उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त रूप से महेश पिता धन्नालाल और जगदीश पिता किशन के नाम पर, प्रतिदावा प्रस्तुति दिनांक से दर्ज थी। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वर्ष 2008 में तहसील न्यायालय ठीकरी में वादग्रस्त भूमि अपने नाम पर दर्ज कराने का आवेदन दिया था, जिसकी जानकारी प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 को नहीं होने दी तथा जानकारी प्राप्त होने पर प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 49-अ/27/07-08 में आदेश दिनांक 15.02.2008 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की, जिसमें प्रकरण में दिनांक 22.03.2010 को आदेश पारित करते हुए रिमाण्ड किया गया एवं दिनांक 03.05.2011 को तहसीलदार ठीकरी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 का नाम वादग्रस्त भूमि का नाम वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप में दर्ज किया गया। प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 को बंटाई पर दी थी और नामांतरण की जानकारी के बाद उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक-1 से अपनी जमीन वापस मांग ली, तब प्रतिवादी क्रमांक-1 ने कहा कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि वादी को विक्रय कर दी गई है और कब्जा भी दे दिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 को यह जानकारी मिलने के बाद प्रतिवादी क्रमांक-3 ने उप पंजीयक कार्यालय राजपुर में दिनांक 20.04.2009 को आपत्ति प्रस्तुत की, किन्तु उसके बाद भी वादी ने दिनांक 01.05.2009 को प्रतिवादी क्रमांक-1 से वादग्रस्त भूमि के विक्रय विलेख का पंजीयन करवा लिया, जबकि वादी को इस बात की जानकारी थी कि प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 का भी जमीन में स्वत्व है तथा उक्त नामांतरण आदेश के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी राजपुर के न्यायालय में लम्बित थी। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2009 को प्रतिवादी क्रमांक-1 से उसके पक्ष में करा लिया गया है, वह शून्य होकर प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 पर बन्धनकारक नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त सम्पत्ति संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति है, जिसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा धोखे से किया गया विक्रय विलेख प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 पर बन्धनकारक नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 को वादी के द्वारा किए गए उक्त विक्रय विलेख के पंजीयन की जानकारी तब लगी, जब वादी ने उक्त विक्रय विलेख के आधार पर दिनांक 11.11.2011 को नामांतरण का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय ठीकरी में प्रस्तुत किया और यह वाद प्रस्तुत किया और प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 ने यह प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त विक्रय विलेख पंजीयन

क्रमांक ए-1/177 दिनांक 01.06.2009 निरस्त करने के लिए और वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य वादी से प्राप्त करने और उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया है।

04- वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 के प्रतिदावे का लिखित विरोध करते हुए स्पष्ट किया है कि उक्त प्रतिवादीगण का प्रतिदावा प्रचलन योग्य नहीं है और उक्त वाद समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तव में, वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवारा विधिवत हो चुका है और प्रतिवादी क्रमांक-1 को वादग्रस्त भूमि बंटवारे में प्राप्त हुई थी और बंटवारे के आधार पर उसकी ऋण पुस्तिका बनने के बाद उसके द्वारा अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि का विक्रय वादी को किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 ने अनुविभागीय अधिकारी, राजपुर के न्यायालय में वादी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसे सूचना पत्र भी नहीं दिया, इस कारण उक्त निर्णय वादी पर बन्धनकारक नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 के संयुक्त स्वामित्व की भूमि का बंटवारा दिनांक 15.02.2008 को तहसीलदार ठीकरी द्वारा किया जा चुका है और प्रतिवादी क्रमांक-1 की पृथक से ऋण पुस्तिका बनी थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 का उक्त प्रतिदावा प्रचलन योग्य नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 ने प्रतिदावे का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क भी अदा नहीं किया है। इस कारण भी उक्त प्रतिवादीगण का प्रतिदावा प्रचलन योग्य नहीं है। उक्त प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 ने शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है।

नोट - निर्णय में अब आगे सुविधा की दृष्टि से प्रकरण के प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 को "वादीगण" तथा वादी को "प्रतिवादी" कहा जाएगा।

05- उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मेरे द्वारा मूल वाद प्रकरण में निम्नांकित वाद प्रश्न विरचित किए गए, जिनके सम्मुख उनके निष्कर्ष, प्रकरण में साक्ष्य विवेचन व दस्तावेजों के आधार पर मेरे द्वारा सकारण अंकित किए जा रहे हैं :-

क्रमांक	वाद प्रश्न	सकारण निष्कर्ष
1.	क्या वादी ने ग्राम घटवा, पटवारी हलका नंबर-3, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 27 व 28 रकबा 2.65 एकड़ प्रतिवादी क्रमांक-1 से विधिवत क्रय की है ?	वाद निरस्त होने से निष्कर्ष पारित नहीं
2.	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1, 3 व 4 की संयुक्त सम्पत्ति होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 को उक्त भूमि वादी को विक्रय करने का अधिकार नहीं था ?	हाँ
3.	क्या वादी उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण विक्रय विलेख दिनांक 05.06.2009 के आधार पर करवाने का अधिकारी है ?	वादी का वाद निरस्त होने से निष्कर्ष पारित नहीं किया गया

क्रमांक	वाद प्रश्न	सकारण निष्कर्ष
4.	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 01.09.2016 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय विलेख क्रमांक ए-1/177 प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 पर बन्धनकारक नहीं होने से शून्य घोषित किए जाने योग्य है ?	प्रमाणित (हों)
5.	क्या प्रतिवादी क्रमांक-3 व 4 उक्त वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य वादी से पाने के अधिकारी हैं ?	प्रमाणित
6.	सहायता एवं वाद व्यय ?	प्रतिवादी क्र.3 व 4 का प्रतिदावा स्वीकार व डिक्ली पारित की गई

-: वाद प्रश्न क्रमांक-1. व 3. पर सकारण निष्कर्ष :-

06- चूंकि उक्त वाद प्रश्न प्रतिवादी तुलसीराम द्वारा प्रस्तुत मूल वाद पत्र के आधार पर विरचित किए गए थे और तुलसीराम द्वारा अपना उक्त मूल वाद दिनांक 07.08.2015 को निरस्त करवा लिया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त वाद प्रश्नों पर निष्कर्ष पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

-: वाद प्रश्न क्रमांक-2. व 4. पर सकारण निष्कर्ष :-

07- उपरोक्त दोनों ही वाद प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने व सुविधा तथा संक्षिप्तता की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

08- उक्त वाद प्रश्नों के संबंध में वादी साक्षी दिनेश (वा.सा.-2) का कथन है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 मनोहर उसका भाई है। उसके पिता जगदीश थे। महेश को धन्नालालजी ने गोद लिया था, इस कारण धन्नालालजी का वारिस महेश (वादी क्रमांक-3) है तथा वह और मनोहर, जगदीश के वारिस हैं। उनके परिवार की संयुक्त कृषि भूमि ग्राम घटवा में है, जिसका सर्वे नंबर 27 व 28 है और कुल रकबा 1.072 हैक्टर है, जिसके संबंध में यह वाद प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और कृषि भूमि है, जिसका सर्वे नंबर 74 एवं रकबा 1.376 हैक्टर है। वे दोनों ही वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से खेती-बाड़ी कर रहे हैं। उनके भाईयों के बीच कोई विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त सम्पत्ति जगदीश और महेश के पिता धन्नालाल के नाम से वाद चलने के दौरान थी, जो सम्पत्ति उन्होंने मनोहर को बंटाई पर दी थी। वर्ष 2008 में मनोहर ने सांठ-गांठ करके वादग्रस्त भूमि पर उसका अकेले का नाम दर्ज करवा लिया, जिसकी जानकारी मिलने पर उसने और महेश ने राजपुर न्यायालय में अपील की, तब राजपुर न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड करके वादग्रस्त भूमि पर उसका और महेश का नाम दर्ज किया गया। तहसीलदार ठीकरी ने प्रतिवादी की अपील खारिज की, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजपुर के न्यायालय में अपील करने पर दिनांक 18.06.2015 को प्रतिवादी तुलसीराम का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है, जिसके विरुद्ध उसके द्वारा की गई अपील अपर आयुक्त, इंदौर के न्यायालय में

लम्बित है तथा आदेश दिनांक 18.06.2015 के पश्चात प्रतिवादी तुलसीराम ने उसका वाद निरस्त करवा लिया है। प्रतिवादी को उनकी और मनोहर के संयुक्त स्वामित्व की भूमि का ज्ञान होने के बाद भी प्रतिवादी तुलसीराम ने उनकी भूमि मनोहर से दिनांक 05.06.2009 को वादग्रस्त भूमि क्रय की, जबकि मनोहर को उक्त वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वादग्रस्त भूमि का उनके और मनोहर के बीच कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ तथा विक्रय विलेख करने के बाद प्रतिवादी तुलसीराम ने नामांतरण करने के लिए वाद प्रस्तुत किया था, जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दिया था। वादग्रस्त भूमि पर धन्नालाल के वारिस नाते आधा हिस्सा महेश का तथा जगदीश के वारिस नाते 1/4 हिस्सा मनोहर का व 1/4 हिस्सा उसका है, किन्तु तुलसीराम के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है, इस कारण उक्त विक्रय विलेख शून्य घोषित किए जाने योग्य है।

09— अपने कथन के दौरान उक्त वादी साक्षी दिनेश ने तहसील न्यायालय ठीकरी के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 49-अ-27/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1, सर्वे नंबर 27 व 28 की खसरा नकल वर्ष 2010-11 प्रदर्श डी-2, खतौनी वर्ष 2010-11 प्रदर्श डी-3, उप पंजीयक कार्यालय राजपुर में प्रस्तुत आपत्ति प्रदर्श डी-4, उसकी रसीद प्रदर्श डी-5 तथा उक्त विक्रय विलेख क्रमांक 177, दिनांक 01.06.2009 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-6 प्रस्तुत कर प्रमाणित की हैं।

10— प्रतिवादी तुलसीराम की ओर से उक्त वादी साक्षी क्रमांक-1 दिनेश का प्रतिपरीक्षण करने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जगदीश के 3 पुत्र हैं, जिनमें वह, महेश और मनोहर हैं, जिसमें महेश गोदी पुत्र गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम घटवा में स्थित होकर उसके द्वारा उसके और उसके काका धन्नालाल के नाम से है। साक्षी ने प्रतिवादी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके पिता ने इस जमीन के विभाजन का प्रकरण तहसील में लिखवाया था अथवा तहसील न्यायालय में बंटवारे का आवेदन पेश किया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके पिता और उसके भाई मनोहर के बीच आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। इस साक्षी को राजस्व प्रकरण क्रमांक 49-अ-27/2007-08, आदेश दिनांक 15.02.2008 की छायाप्रति दिखाकर प्रश्न पूछा गया, लेकिन छायाप्रति के आधार पर पूछा गया प्रश्न, जिसके संबंध में साक्षी को जानकारी नहीं है, से प्रतिवादी तुलसीराम को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

11— साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी तुलसीराम की ओर से प्रस्तुत इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दिनांक 17.01.2011 को तहसील न्यायालय ठीकरी में बंटवारा हुआ था और उसमें वह उपस्थित था। साक्षी ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि महेश और दिनेश को सर्वे नंबर 74 की भूमि मिली थी और उसके आधिपत्य में सर्वे नंबर 73 की भूमि है। साक्षी ने प्रदर्श डी-2 का मौका पंचनामा दिखाकर पूछने पर उसकी जानकारी होने के संबंध में इन्कार किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी-6 के विक्रय विलेख पर उसके भाई जगदीश का छायाचित्र लगा हुआ है। साक्षी ने यह

भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी-6 के विक्रय विलेख के विरुद्ध उनके द्वारा कोई दावा न्यायालय में नहीं लगाया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी-6 के विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी तुलसीराम का नामांतरण हो चुका है और कब्जा भी प्रतिवादी तुलसीराम का ही है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमि में तुलसीराम के नामांतरण के संबंध में उनके द्वारा की गई आपत्ति निरस्त हुई है। साक्षी ने आगे यह स्वीकार किया है कि नामांतरण की कार्यवाही के विरुद्ध तुलसीराम द्वारा की गई अपील अनुविभागीय अधिकारी राजपुर में स्वीकार हुई और तुलसीराम का नामांतरण हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने प्रतिदावा दिनांक 16.07.2014 को पेश किया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12— वादी साक्षी महेश (वा.सा.-3) ने भी अपने प्रतिदावे के कथनों का समर्थन करते हुए वादग्रस्त भूमि स्वयं के और मनोहर के संयुक्त स्वामित्व की होना बताकर वादग्रस्त भूमि का विक्रय मनोहर द्वारा प्रतिवादी तुलसीराम को बिना किसी अधिकार के प्रश्नाधीन विक्रय विलेख के माध्यम से करना बताया है और प्रश्नाधीन विक्रय विलेख निरस्त करने की प्रार्थना की है। उक्त साक्षी का स्पष्ट कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर धन्नालाल के वारिस नाते आधा हिस्सा उसका है और जगदीश के वारिस नाते 1/4 हिस्सा विक्रेता मनोहर व 1/4 हिस्सा वादी दिनेश का है, किन्तु प्रतिवादी तुलसीराम ने उनकी भूमि पर जबरन कब्जा किया है, इस कारण विक्रय विलेख शून्य घोषित कर वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य उन्हें प्रदान किया जाए। इस साक्षी से प्रतिवादी तुलसीराम की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि मनोहर ने तहसील न्यायालय ठीकरी में वादग्रस्त भूमि के विभाजन का वाद लगाया था, बल्कि साक्षी ने स्पष्ट किया कि वादग्रस्त भूमि का दो पीढ़ी से आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। साक्षी ने प्रदर्श डी-1 में अपना नाम प्रतिवादी के रूप में लिखा होना स्वीकार किया है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त प्रकरण में वह उपस्थित था और उक्त प्रकरण के आदेशानुसार उन भाईयों के बीच विभाजन दिनांक 15.02.2008 को हुआ था। किन्तु साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विभाजन होने के बाद मनोहर के द्वारा उसके नाम की कृषि भूमि दर्ज होने से उसने उक्त जमीन बेच दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमि का स्थल निरीक्षण राजस्व निरीक्षक के द्वारा किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी-6 में मनोहर का छायाचित्र लगा है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श डी-6 के विक्रय विलेख का निष्पादन रोकने के लिए सिविल वाद नहीं लगाया है। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी तुलसीराम का नामांतरण हो गया है और उसकी ऋण पुस्तिका बन गई है और वादग्रस्त भूमि पर तुलसीराम का कब्जा है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि पर तुलसीराम 8-10 वर्षों से फसल बो रहा है, लेकिन साक्षी ने आगे स्पष्ट किया कि विक्रेता मनोहर ने प्रतिवादी तुलसीराम के पास भूमि गिरवी रखी थी। आगे साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने गिरवी के दस्तावेज पेश नहीं किए, लेकिन इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वह वादग्रस्त भूमि से तुलसीराम को हटाना चाहता है, इसलिए असत्य कथन कर रहा है।

13- वादी साक्षी जयदेव (वा.सा.-4) तथा साक्षी भगवान (वा.सा.-1) ने वादग्रस्त भूमि का वादीगण और उसके भाईयों के बीच कोई भी बंटवारा नहीं होने के संबंध में कथन किए हैं। साक्षी भगवान (वा.सा.-1) का यह भी कथन है कि मनोहर ने जो जमीन तुलसीराम को बेची थी, उस जमीन में महेश और दिनेश का भी हिस्सा है, जो उन्होंने मनोहर को बंटाई पर दी थी, किन्तु मनोहर ने उक्त जमीन को धोखे से तुलसीराम को बेच दी तथा उसने तुलसीराम को जमीन खरीदने से मना भी किया था। साक्षी का यह भी कथन है कि तुलसीराम ने जो जमीन मनोहर से खरीदी है, उस पर तुलसीराम खेती करता है और महेश व दिनेश दोनों दूसरी जमीन पर मिलजुल कर खेती करते हैं। प्रतिवादी तुलसीराम की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में वादी साक्षी भगवान (वा.सा.-1) ने यह स्वीकार किया है कि उसे वादग्रस्त भूमि का सर्वे नंबर नहीं मालूम। वादग्रस्त भूमि पर पहले प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से आधिपत्य था। वादग्रस्त भूमि पर 20 साल से तुलसीराम का कब्जा है। साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि वादग्रस्त भूमि का तहसील न्यायालय ठीकरी में विभाजन हुआ हो तो उसे नहीं मालूम। तहसील न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है, वह कभी तहसील न्यायालय नहीं गया।

14- इसी प्रकार वादी साक्षी जयदेव (वा.सा.-4) से भी प्रतिवादी तुलसीराम की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि महेश और दिनेश उसके दूर के साले लगते हैं। उसकी जमीन वादग्रस्त जमीन के आसपास नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों के मध्य वादग्रस्त जमीन का बंटवारा हुआ था, किन्तु साक्षी ने यह स्वीकार किया कि ठीकरी तहसील से वादग्रस्त भूमि का वर्ष 2008 में कोई बंटवारा हुआ हो तो इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मनोहर के हिस्से की भूमि पर तुलसीराम का कब्जा पिछले 10-12 वर्षों से है, लेकिन इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

15- उपरोक्त वाद प्रश्नों के संबंध में प्रतिवादी तुलसीराम (प्र.सा.-1) का कथन है कि मनोहर ने उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि दिनांक 01.06.2009 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से उसे विक्रय की थी और उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कराया था। जो भूमि मनोहर ने उसे बेची थी उस भूमि का बंटवारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 49-अ-27/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2008 के पालन में हुआ था और वादग्रस्त भूमि का मनोहर अकेला मालिक था, इस कारण उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि विक्रय की गई थी। वादग्रस्त भूमि पर वह अभी कृषि कर रहा है और उसी का आधिपत्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिदावा समयावधि के बाहर है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं है, फिर भी असत्य आधारों पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है।

16- अपने समर्थन में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-1 तुलसीराम ने मूल विक्रय विलेख प्रदर्श पी-1, तहसील न्यायालय की उद्घोषणा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2, राजस्व प्रकरण क्रमांक 49-अ-27/2007-08 की दिनांक 14.11.2007 की

आदेश पत्रिकाओं की प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3, बंटवारा आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4, बिक्री रजिस्ट्रेशन की रसीद प्रदर्श पी-5, ग्राम घटवा की कृषि भूमि की खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2015-16 की प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 प्रमाणित की हैं। प्रतिवादी तुलसीराम ने उक्त राजस्व प्रकरण के आदेश दिनांक 15.02.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-8, फर्द बंटवारा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-9, रिकॉर्ड दुरुस्ती आदेश दिनांक 15.02.2008 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-10, दिनेश पिता जगदीश के नाम से ग्राम घटवा की कृषि भूमि के खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-11, राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 09.02.2012 दिया गया प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12, महेश पिता धन्नालाल की कृषि भूमि के संबंध में प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-13 तथा राजस्व न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदर्श पी-14 से 19 तथा राजस्व न्यायालय में महेश के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-20 और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-21 पेश कर प्रमाणित की हैं।

17— वादीगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी तुलसीराम ने यह स्वीकार किया है कि वह जन्म से ग्राम अभाली में रहता है। अभाली से घटवा की दूरी 2 किलोमीटर है। मनोहर और उसके भाई दिनेश व महेश को वह जानता है। मनोहर व दिनेश सगे भाई हैं। उसने मनोहर से वादग्रस्त भूमि दिनांक 01.06.2009 को क़य की थी, उस समय वादग्रस्त भूमि मनोहर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी व उसकी पृथक से ऋण पुस्तिका बनी हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा क़य की गई उक्त जमीन का नामांतरण नहीं हुआ, क्योंकि तहसीलदार महोदय ने जमीन को विवादित बताया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 22.03.2010 को राजस्व प्रकरण क्रमांक 07-अ-27/2008-09 में अनुविभागीय अधिकारी राजपुर के द्वारा आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि पुनः महेश पिता धन्नालाल और जगदीश पिता किशन के नाम से दर्ज की गई। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने वादग्रस्त भूमि अपने नाम से करवाने के लिए 2 बार तहसील न्यायालय में प्रयास किया और पहला प्रयास असफल होने के बाद उसने यह दावा लगाया। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी स्वीकार किया कि वर्ष 2010-11 में महेश पिता धन्नालाल और जगदीश पिता किशन का नाम वादग्रस्त भूमि में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था, उसे मनोहर और उसके भाई महेश व दिनेश के बीच आपसी बंटवारा होने की जानकारी मनोहर के पिता जगदीश ने दी थी। साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-21 के आदेश द्वारा उसका नामांतरण आदेश निरस्त किया गया था। साक्षी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि वादग्रस्त जमीन मनोहर, दिनेश और महेश की पैतृक सम्पत्ति थी, साक्षी ने स्पष्ट किया कि जमीन जगदीश की थी, जिसका बंटवारा उन्होंने अपने पुत्रों के बीच किया था।

18— वादीगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वादग्रस्त भूमि मनोहर ने धोखे से उसके नाम पर दर्ज करवा कर उसे विक्रय की थी। साक्षी ने आगे स्पष्ट करते हुए व्यक्त किया कि उसे इतनी जानकारी है कि बंटवारा हुआ है और मनोहर की पावती बनी थी। साक्षी ने वादीगण के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वादी दिनेश और महेश ने

उक्त जमीन विक्रेता मनोहर को बंटाई पर दी थी और उसमें उक्त वादीगण का हिस्सा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-4 के आवेदन से जो बंटवारा हुआ था, उसे एस.डी.एम. द्वारा आदेश दिनांक 22.03.2010 के द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जिसके पश्चात तहसीलदार महोदय द्वारा प्रदर्श डी-1 का आदेश दिनांक 03.05.2011 पारित कर वादग्रस्त भूमि पर महेश पिता धन्नालाल तथा जगदीश पिता किशन का नाम दर्ज किया गया। साक्षी ने वादीगण की ओर से दिए गए इस सुझाव से इन्कार किया है कि उक्त जमीन को क्रय नहीं करने के संबंध में उसे महेश और दिनेश ने बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि बंटवारे में महेश पिता धन्नालाल को भी कोई जमीन मिली थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि उक्त सम्पत्ति संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पत्ति थी अथवा मनोहर ने उसे धोखे से जमीन विक्रय की थी।

19— प्रतिवादी तुलसीराम की ओर से परीक्षित अन्य साक्षी बाबूसिंह (प्र.सा.-2) तथा सुधीर श्रीवास्तव (प्र.सा.-3) ने वादग्रस्त भूमि का विक्रय विलेख मनोहर द्वारा तुलसीराम के पक्ष में दिनांक 01.06.2009 को उप पंजीयक कार्यालय राजपुर में करने और उनके सामने विक्रय विलेख में हस्ताखर करने के संबंध में कथन किए हैं। उपरोक्त प्रतिवादी साक्षीगण का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अभी भी तुलसीराम का कब्जा मालिक नाते है और वादग्रस्त भूमि मनोहर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। उक्त साक्षीगण ने विक्रय विलेख प्रदर्श पी-1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना और विक्रय का प्रतिफल रूपये 2,35,000/- उनके सामने मनोहर द्वारा तुलसीराम से लिए जाने के संबंध में भी कथन किए हैं। वादीगण की ओर से उक्त दोनों प्रतिवादी साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण किया गया है, जिसमें साक्षी बाबूसिंह (प्र.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह, मनोहर, महेश और दिनेश को जानता है, जो जगदीश की संतानें हैं। जब विक्रय विलेख का निष्पादन कराया गया, तब उसने वादी महेश की ऋण पुस्तिका देखी थी, उसमें उसके पिता का नाम जगदीश लिखा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसकी जानकारी अनुसार वादग्रस्त खेत केवल मनोहर के नाम पर था, सब के नाम पर दर्ज नहीं था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2009 के पहले विक्रेता मनोहर के अलावा वादी महेश और दिनेश का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज हो, तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने महेश पिता जगदीश के नाम की पावती नहीं देखी थी, उसने जो पावती देखी थी, उसमें मनोहर पिता जगदीश का नाम था। साक्षी ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि वादग्रस्त भूमि महेश, दिनेश और मनोहर की थी और पावती पर मनोहर का नाम था, जिसके आधार पर वह कह सकता है कि मनोहर को बंटवारे में जमीन मिली।

20— इसी प्रकार वादीगण की ओर से, प्रतिवादी की ओर परीक्षित साक्षी सुधीर श्रीवास्तव (प्र.सा.-3) से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि तुलसीराम ग्राम अभाली रहता था, अब घटना रहता है तथा वह, मनोहर, महेश और दिनेश को जानता है, जो कि घटना निवास करते हैं। मनोहर, महेश और दिनेश तीनों भाई हैं। उसे जानकारी नहीं है कि मनोहर, महेश व दिनेश के मध्य

कोई बंटवारा हुआ था या नहीं। साक्षी ने स्पष्ट किया कि जमीन केवल मनोहर के नाम पर स्वतंत्र रूप से दर्ज थी और महेश व दिनेश के नाम से गांव की उत्तर दिशा में कोई जमीन है, जिसका सर्वे नंबर वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जो जमीन मनोहर ने विक्रय की थी, उसमें एस.डी.एम. राजपुर द्वारा पूर्व की स्थिति निर्मित की थी और उसमें कोई संशोधन हुआ था, ऐसी बात उसे मालूम पड़ी थी। साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि तुलसीराम ने जो जमीन क्रय की, उससे पूर्व उस पर किसका कब्जा था, वह नहीं बता सकता है। मनोहर ने जो जमीन विक्रय की थी, वह जमीन मनोहर के नाम पर स्वतंत्र रूप से दर्ज थी।

21— वादीगण ने अपने पक्ष में जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनमें तहसीलदार ठीकरी की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 है, जिसके अनुसार सर्वे नंबर 27 व 28 की बंटवारे से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेखों में की गई थी और वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख खसरा व खतौनी वर्ष 2010-11 हैं, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि महेश जगदीश का नाम पुनः राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-2 व 3 हैं। वादीगण ने उप पंजीयक कार्यालय राजपुर में वादग्रस्त भूमि का विक्रय विलेख मनोहर द्वारा तुलसीराम के नाम करने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-4 है।

22— प्रतिवादी तुलसीराम की ओर से अपने समर्थन में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उनमें प्रदर्श पी-1 मनोहरलाल द्वारा उसके पक्ष में किया गया विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2009 है, यद्यपि, उक्त विक्रय विलेख के निष्पादन की तिथि और निष्पादन के संबंध में कोई विवाद नहीं है। प्रदर्श पी-3 मनोहर द्वारा ग्राम छ टावा स्थित कृषि भूमि के दावे के संबंध में तहसील न्यायालय में दिए गए आवेदन से संबंधित आदेश पत्रिका है, जिसके संबंध में दिए गए आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 है तथा वाद संस्थित करने के पश्चात तुलसीराम का वादग्रस्त भूमि पर किए गए नामांतरण के संबंध में खसरा वर्ष 2015-16 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-6 है और किश्तबंदी खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-7 है तथा तहसीलदार ठीकरी द्वारा दिनांक 15.02.2008 को वादग्रस्त भूमि का बंटवारा मनोहर, महेश और दिनेश के बीच किया गया था, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-8 तुलसीराम द्वारा पेश की गई है और प्रदर्श पी-9 बंटवारा फर्द है तथा प्रदर्श पी-10 का रिकॉर्ड दुरुस्त करने का आदेश है। प्रदर्श पी-11 दिनेश के नाम से अन्य कृषि भूमि होने के संबंध में दस्तावेज है। प्रदर्श पी-12 राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार ठीकरी को दिया गया उक्त प्रतिवेदन है, जिसमें तुलसीराम द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वयं का नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया है तथा प्रदर्श पी-13 महेश पिता जगदीश के नाम की सर्वे नंबर-212 की कृषि भूमि होने के संबंध में उल्लेख है तथा राजस्व न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य हुए कथनों की प्रमाणित प्रतिलिपि भी तुलसीराम की ओर से पेश की गई है।

23— वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए अपने प्रतिदावे को प्रमाणित होना बताया है तथा अपने समर्थन में माननीय न्याय दृष्टांत-

लक्ष्मीनारायण वि. प्रेमबाई तथा अन्य 2002 लीगल ईगल (मध्यप्रदेश) 271, गिरंजनी देवी वि. बृजेंद्र नारायण 1966 लीगल ईगल (मध्यप्रदेश) सु.को. 148 प्रस्तुत किए हैं, जो कि संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति के विभाजन के संबंध में है। इसके विपरीत प्रतिवादी तुलसीराम के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिदावे को समयावधि के बाहर होना बताते हुए प्रतिदावा निरस्त करने की प्रार्थना की है।

24— यह सही है कि महेश और दिनेश द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा दिनांक 10.04.2014 को प्रस्तुत किया है, लेकिन उनको प्रतिवादे के रूप में संयोजित करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.09.2012 को स्वीकृत किया गया था तथा उसके पश्चात तुलसीराम द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तुलसीराम की याचिका निरस्त करने के बाद तुलसीराम ने दिनांक 29.04.2014 को महेश और दिनेश को पक्षकार के रूप में संयोजित किया है और उसके पश्चात उन्होंने जवाब दावा एवं प्रतिदावा विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2009 को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया है, जो कि समयावधि के भीतर ही है। ऐसी स्थिति में तुलसीराम की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

25— इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि पूर्व में विक्रेता मनोहर एवं वादी महेश व दिनेश के मध्य वादग्रस्त भूमि का बंटवारा और नामांतरण हुआ था, जिसके आधार पर प्रतिवादी तुलसीराम ने वादग्रस्त भूमि प्रदर्श पी-1 के माध्यम से क्रय की थी, लेकिन उक्त बंटवारा तहसीलदार ठीकरी द्वारा निरस्त करते हुए दिनांक 03.05.2011 को पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई। इस प्रकार विक्रेता मनोहर, वादी महेश व दिनेश के मध्य हुआ वादग्रस्त भूमि का बंटवारा निरस्त हो चुका है और वादग्रस्त भूमि का विक्रेता मनोहर अकेला स्वत्वधारी नहीं रहा, बल्कि वादी महेश और दिनेश भी वादग्रस्त भूमि के स्वत्वधारी हुए हैं और उनके बीच बंटवारा नहीं हुआ होकर वे तीनों वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त स्वामी हैं। प्रतिवादी तुलसीराम और उसके साक्षियों ने भी यह स्वीकार किया है कि उक्त भूमि विक्रेता मनोहर के पिता के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी और उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त भूमि का विभाजन उक्त विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2009 प्रदर्श पी-1 के बाद तहसीलदार ठीकरी द्वारा निरस्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय विलेख निष्पादित करने का मनोहर को कोई अधिकार नहीं था और उक्त अधिकारविहीन विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता/प्रतिवादी तुलसीराम को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है और उक्त विक्रय विलेख प्रदर्श पी-1 वादी दिनेश व महेश पर बन्धनकारक नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय विलेख प्रदर्श पी-1 शून्य घोषित किए जाने योग्य है। अतः वाद प्रश्न कमांक-2. व 4. पर निष्कर्ष सकारात्मक रूप में दिए जाते हैं।

—: वाद प्रश्न कमांक-5. पर सकारण निष्कर्ष :-

26— चूंकि विक्रेता मनोहर को वादग्रस्त भूमि क्रेता/प्रतिवादी तुलसीराम को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, ऐसा प्रमाणित करने में वादीगण महेश

व दिनेश सफल रहे हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी के साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर क्रेता/प्रतिवादी तुलसीराम का ही आधिपत्य है और वही उस भूमि पर कृषि कर रहा है तो ऐसी स्थिति में वादीगण महेश और दिनेश वादग्रस्त भूमि का रिक्त व वास्तविक आधिपत्य क्रेता/प्रतिवादी तुलसीराम से पाने के अधिकारी हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-5. पर निष्कर्ष सकारात्मक रूप में दिए जाते हैं।

—: वाद प्रश्न क्रमांक-6. सहायता एवं वाद व्यय :-

27— उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि :-

(अ) वादीगण महेश और दिनेश यह अपने प्रतिदावे में यह प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि उनके भाई विक्रेता मनोहर को वादग्रस्त कृषि भूमि क्रेता/प्रतिवादी तुलसीराम को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था और उसके द्वारा क्रेता/प्रतिवादी तुलसीराम के पक्ष में दिनांक 01.06.2009 को निष्पादित विक्रय विलेख पंजीयन क्रमांक 1-ए/177 प्रदर्श पी-1 वादीगण पर बन्धनकारक नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय विलेख प्रदर्श पी-1 शून्य घोषित किया जाता है।

(ब) क्रेता/प्रतिवादी तुलसीराम को यह आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय एवं डिक्री दिनांक से 2 माह के भीतर वादग्रस्त भूमि का रिक्त एवं वास्तविक आधिपत्य वादीगण महेश और दिनेश को प्रदान करे।

(स) उप पंजीयक कार्यालय राजपुर को मूल विक्रय विलेख क्रमांक दिनांक 01.06.2009 की मूल प्रति न्यायालय के निर्णय के साथ पत्र सहित भेजा जाए तथा उन्हें अपने पंजीयन रजिस्टर में उक्त टीप अंकित करने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्तानुसार डिक्री बनाई जावे।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करें।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के अनुसार अथवा जो भी रकम प्रमाणित हुई हो अथवा दोनों में से जो कम हो, व्यय में जोड़ी जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक,
अंजड़, जिला बड़वानी

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक,
अंजड़, जिला बड़वानी